

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण-कक्ष) मध्यप्रदेश, भोपा

Tel.(Office) 2674212, 2551450, Fax-2551450 E-mail ID-Apccfprot@mp.gov.i

दिनांक	अंग

मिमा/एफ-8/11/10-10/ 1895

भोपाल, दिनांक/ 16/06/11

समस्त मुख्य वन संरक्षक,

(क्षेत्रीय/वन्यप्राणी)

म0प्र0

विषय:-अतिक्रमण की रोकथाम हेतु वन क्षेत्र में स्थापित मुनारों का सत्यापन ।

यह शिकायत मिल रही है कि बड़े-बड़े शहरों के आसपास के वनक्षेत्रों में एवं कस्बों के आसपास लगे वनक्षेत्रों में जहां-जहां वन क्षेत्र की सीमायें राजस्व क्षेत्र से मिलती है, अपराधिक तत्वों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण के उद्देश्य से मुनारों को हटाकर/तोड़कर खेत बनाने के प्रयास किये गये है । इसी प्रकार के एक प्रकरण में वन मंडल सामान्य बड़वाह के वन परिक्षेत्र सनावद में अपराधियों से जप्त जे.सी.बी. मशीन को अपराधियों द्वारा बलात् लेकर फरार होने के घटना प्रकाश में आयी है । वन सीमा में परिवर्तन तथा विभाग की अभिरक्षा में रखी जप्त सामग्री जबरन ले जाने की घटना अत्यंत गंभीर है ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सतर्क रहें । यह निर्देश दिये जाते है कि :-

- 1- अपने-अपने वृत्तों में इस तरह के संवेदनशील वन क्षेत्रों को चिन्हित करें, एवं इन क्षेत्रों में चौकसी बढ़ायें ।
- 2- चिन्हित वन क्षेत्रों में पदस्थ अमले से यह जानकारी प्राप्त करें कि उनके क्षेत्र में राजस्व क्षेत्र से लगे वन क्षेत्रों पर स्थापित सभी मुनारे वर्किंग प्लान के अनुसार विद्यमान हैं ।
- 3- सेम्पल अध्ययन के लिये जहां-जहां वन क्षेत्रों की सीमायें राजस्व क्षेत्र से लगती है, वहां पर मुनारे मौके पर मौजूद हैं अथवा नहीं इसका प्रमाण-पत्र संबंधित बीट गार्ड एवं परिक्षेत्र सहायक से प्राप्त कर तथा शत-प्रतिशत सत्यापन परिक्षेत्राधिकारी से कराना सुनिश्चित करें ।
- 4- वर्किंग प्लान जब भी बने मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मुनारे की जीपीएस रीडिंग की सूची वर्किंग प्लान में संलग्न की जाये, जिससे मुनारों का सत्यापन कभी भी किया जा सके ।
- 5- जप्त सामग्री, वाहन आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त निर्देशानुसार अतिक्रमण रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

म0प्र0 भोपाल